सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

6 AASHAADH 1946 (S)

No. 415

RANCHI, THURSDAY 27th JUNE, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

27th June, 2024

Notification No.- 6/2024 – State Tax

S.O. No. 7, Dated 27th June, 2024:- In exercise of the powers conferred by section 158A of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of Section 158A of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

Explanation.— For the purpose of this notification, "Public Tech Platform for Frictionless Credit" means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualised by the Reserve Bank of India as part of its "Statement on Developmental and Regulatory Policies" dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 22nd February, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/02/2024]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal
Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०.6/2024- राज्य कर

एस. ओ. सं. 7, दिनांक **27 जून, 2024 -** झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके साथ झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" से उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेचर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके ।

2. यह अधिसूचना 22 फरवरी, 2024 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/02/2024]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 415 -- 50.